

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कलाकार के पद के लिए भर्ती नियमों  
के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 0 सं. ज्ञा.के का 13.10.2015  
के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता  
कृपलानी अस्पताल में कलाकार के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/  
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30,  
(Thenkhola baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)॥(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,  
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या  
t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

ग. प्र. सामंत  
ग. प्र. सामंत

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली  
दिनांक :

(भारत सरकार)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2019

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में कलाकार के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (कलाकार), समूह-ग पद, भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बैतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-मीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कलाकार	1(एक)* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, बैतन मेट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोत्तर व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होंगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती जाने वाली पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली सिक्षियों की प्रतिशतता	जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
लागू नहीं होता।	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	I. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य श्रेणी प्रशासन या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद्धारण किया हुआ है, या (ii) बैतन मेट्रिक्स के स्तर-3 में (रु. 21700-69100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) नियमित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	(1) किसी मान्यताप्राप्त बोई से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण;	(2) किसी मान्यताप्राप्त कला और शिल्प विद्यालय से कला में हिल्योमा।				

[ए.11018/14/2016-एमएच II]